International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 06, No. 01(II), January - March, 2024, pp. 148-152

नई शिक्षा नीति – 2020 : समता और समावेश (एक सैद्धान्तिक विश्लेषण)

ज्योति अरोड़ा*
डॉ. सपना वर्मा**

सार

भारतीय समाज और उसकी शिक्षा व्यवस्था का अपना एक लम्बा तथा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। वैदिक काल, बौद्ध काल, ब्रिटिश काल से होती हुई भारतीय शिक्षा व्यवस्था आजाद भारत के आधुनिक दौर तक पहुँची। वहाँ से राधकृष्णन आयोग से संशोधित शिक्षा नीति–1992 तक का लम्बा सफर इस आशा पर किया कि भारतीय समाज अपनी सनातन संस्कृति को प्राप्त कर लेगा। वह संस्कृति जहाँ कृष्ण व सुदामा एक ही गुरू के आश्रम में पढ़ते थे। पिता चाहे राजा क्यूं ना हो भारत के हर राम को अपना महल छोडकर गुरू के आश्रम में ही ज्ञान प्राप्त करने आना पड़ता था। ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास आश्रम तक के नियम सभी के लिये समान थे। चाहे उनमें आर्थिक–सामाजिक स्तर पर गहरा अन्तर ही क्यों ना हो। नई शिक्षा नीति–2020 एक नई सोच लेकर आयी है – समावेशी व न्यायसंगत शिक्षा। सभी को समान अवसर व सुविधायें। परन्तु आज भारत में शिक्षा का निजीकरण बड़े पैमाने पर हो चुका है। एक तरफ सम्पन्न परिवार का बालक एक ऐसे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है जहाँ उसके सीखने की प्रक्रिया को रूचिकर व प्रभावी बनाने के समस्त साधन उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर सामान्य या सामान्य से भी निम्न वर्ग का बालक औसत संसाधनों से सीखने का प्रयास करता है। प्रारम्भिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक में तकनीकी विकास को विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षा का डिजिटलीकरण तथा ऑनलाईन शिक्षा पर भी बल देने की बात की गयी है। ऐसी स्थिति में जहाँ भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिये संघर्ष कर रहा है वहीं इस बदलती शिक्षा नीति व उसके डिजीटलीकरण से इस वर्ग को जोड़ना एक बड़ा प्रश्न है। प्रस्तुत अध्ययन में नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय समाज में स्थित सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए किये गये प्रयास तथा उन प्रयासों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाईयों को जानने का प्रयास किया गया है।

शब्दकोशः *नई शिक्षा नीति : 2020, समावेशी शिक्षा, सामाजिक–आर्थिक असमानता, डिजिटलीकरण, निजीकरण।*

प्रस्तावना

''विद्या सा विमुक्तये''

स्वामी विवेकानन्द का यह कथन सही रूप में विद्या प्राप्ति को उन्मुक्ति के साधन के रूप में परिभाषित करता है। देखा जाये तो शिक्षा होमोसेंपियन्स को मनुष्य बनाने की एक प्रक्रिया है जो कि सर्वांगीण व सर्वव्यापी आवश्यकता है फिर भी शिक्षा देश, काल, परिस्थिति पर बहुत हद तक निर्भर करती है। हर देश की अपनी

* शोधार्थी, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, टोंक, राजस्थान।
** शोध निर्देशिका, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, टोंक, राजस्थान।

संस्कृति व सभ्यता होती है जिसका प्रभाव उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर दिखायी देता है। यह बात जितनी प्रामाणिक है उतनी ही यह बात भी स्पष्ट है कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी समृद्ध होगी उसका विकास उतना ही प्रबल होगा। इस बात का साक्षी है भारतीय समाज और उसकी शिक्षा व्यवस्था का गौरवपूर्ण इतिहास। भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक लम्बा व विकसित इतिहास रहा है। माना जाता है कि वैदिक काल से भारत में शिक्षा एक समृद्ध व विकसित रूप में रही। उस वक्त शिक्षा राज्य के नियन्त्रण में नहीं होती थी।गुरूकुल व्यवस्था का प्रचलन था। हर गांव ढाणी में गुरूकुल होते थे जो स्वायत्ता से शिक्षा का प्रचार–प्रसार करते थे। गुरू–शिष्य की परम्परा भी अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। उस दौर में शिक्षा का अर्थ था – ज्ञान, मानवता व अनुशासन। धीरे–धीरे शिक्षा बौद्ध युग में पहुँची – जहाँ स्वायत्त शिक्षा बौद्ध संघों के अधीन हो गयी। यहाँ भी शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास रहा।

तक्षशिला, नालन्दा, वल्लभी तथा विक्रमशिला जैसी विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय इस युग की देन रहे। फिर एक युग आया जब इस प्राचीन भारतीय सभ्यता–संस्कृति पर मुगल संस्कृति का वर्चस्व दिखायी देने लगा। मन्दिरों से शिक्षा मकदबों व मदरसों में पढ़ायी जाने लगी। फिर इतिहास का एक काल ऐसा आया जब भारतीय शिक्षा का परिदृश्य पूर्णरूप से परिवर्तित करने का सशक्त प्रयास किया जाने लगा और वह काल था ब्रिटिशकाल। सन् 1857 की क्रान्ति के बाद जब सन् 1860 में भारत के शासन पर जब रानी विक्टोरिया का आधिपत्य हो गया तब लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाने के लिये आवश्यक नीतियां सुझाने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया।मैकाले ने प्राचीन भारतीय शिक्षा तथा अंग्रेजी शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन कर 2 फरवरी, 1835 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा भारत में अंग्रेजी साहित्य व अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया। मैकाले ने शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी को बनाने पर बल दिया।

ब्रिटिशकाल और मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा ने ना केवल भारतीय समाज का अपितु शिक्षा का भी स्वरूप परिवर्तित कर दिया। नैतिकता व अनुशासन से युक्त शिक्षा–बाजारोन्मुखी शिक्षा हो गयी। कौशलयुक्त शिक्षा–पुस्तकी शिक्षा तक सीमित हो गयी।आत्मनिर्भर समाज–नौकरियों पर निर्भर समाज में परिवर्तित हो गया। आजादी की महक में सराबोर होकर भारतीय शिक्षा अपने आधुनिक दौर तक पहुँची।वहाँ से राधाकृष्णन आयोग से संशोधित शिक्षा नीति–1992 तक लम्बा सफर इस आशा पर किया कि भारतीय समाज अपनी सनातन संस्कृति को प्राप्त कर लेगा। वह संस्कृति जहाँ कृष्ण व सुदामा एक ही गुरू के आश्रम में पढ़ते थे। पिता चाहे दशरथ जैसे राजा ही क्यूं ना हो, राम को अपना महल छोड़कर आश्रम में ही ज्ञान प्राप्त करने आना पड़ा। ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास आश्रम तक के नियम सभी के लिये समान थे। चाहे उनमें सामाजिक–आर्थिक स्तर पर गहरा अन्तर ही क्यों ना हो।

मैथेडोलॉजी

प्रस्तुत पत्र द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020, शैक्षिक जर्नल्स, शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट तथा नीति से सम्बन्धित विश्वसनीय ऑनलाईन सामग्री को सम्मिलित किया गया है।

नई शिक्षा नीति–2020 एक नई सोच लेकर आयी है – समावेशी व न्यायसंगत शिक्षा। इस नीति का आधार सिद्धान्त है : अच्छे इन्सानों का विकास करना, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करूणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित–समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। लक्ष्य बडा, उद्देश्य सनातनी संस्कृति को पुनर्जीवित करते हुये नवीन संस्कृति के साथ नये आयाम तैयार करना। परन्तु यह राह काफी चुनौतियों भरी है जैसे –

शिक्षा का निजीकरण

UDISE + की वर्ष 2021–22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 14,89,115 विद्यालय है – जिनमें सरकारी विद्यालय 10,22,386, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय 82,480 व निजी विद्यालय 3,35,844 है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 14.32 करोड़ विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में, 8.82 करोड विद्यार्थी निजी विद्यालयों में और 2.70 करोड़ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ते है। उपरोक्त आंकड़े बताते है कि सरकारी विद्यालय व उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निजी विद्यालयों व उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कई अधिक है, परन्तु जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आती है तो परिदृश्य बताता है कि संसाधनों व प्रभावी शिक्षण में निजी संस्थायें काफी समृद्ध है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 5 वर्ष की आयु से पहले एक प्रारम्भिक कक्षा या बालवाटिका का प्रावधान किया गया है जिसमें खेल आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है। इसमें सरकारी स्तर पर आंगनबाडी' तथा निजी स्तर पर प्ले ग्रुप' की बात की गयी है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अच्छी व समृद्ध आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चें तो पहले से प्ले ग्रुप व्यवस्थाश से जुड़े हुये तथा इन विद्यालयों में अच्छे से अच्छे खिलौने व तकनीक के माध्यम से उन्हें सिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकारी आंगनबाडियों में इतने संसाधनों की उपलब्धता करवाना तथा प्रभावी व नवीन तकनीकों से बच्चों को सिखाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्ले ग्रुप के बच्चे के अधिगम स्तर के समकक्ष आंगनबाड़ी के बच्चे के अधिगम स्तर को तैयार करना बेहद मुश्किल कार्य है क्योंकि दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का अन्तर भी उनके सीखने को प्रभावित करता है।

महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थाओं को आगामी वर्षो में संकाय व संस्थागत स्वायत्तशासी संस्था बनाने पर बल देने की बात की है। स्वायत्त होने के लिये महत्वपूर्ण आवश्यकता आर्थिक आत्मनिर्भरता है। जो इन संस्थाओं को स्वयं के बल पर प्राप्त करनी होगी।ऐसी स्थिति में आर्थिक स्तर पर कमजोर विद्यार्थी जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें ड्राप आउट होने से रोकना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।इसके अतिरिक्त अन्तराष्ट्रीय स्तर की लगभग 100 विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया। ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन व मानदण्डों के स्तजर पर कुछ उदारता भी देने की बात की गयी है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालयों की प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रूप में होगी या इनमें सुविधाओं की होड़ देते हुये भारतीय विद्यार्थियों को महंगी शिक्षा का एक और मॉडल देखना पड़ जायेगा।

शिक्षा का माध्यम

भारत की मुख्य विशेषता विविधता में एकता है और इस विविधता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है अपितु भाषायी व सांस्कृतिक भी है।भारत द्वि–भाषी तथा बहुभाषी है। सन् 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 121 ऐसी भाषायें है जो 10,000 से अधिक बोलते व समझते है। हालांकि भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गयी है। नई शिक्षा नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक और सम्भव हो तो ग्रेड 8 और उससे आगे भी शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृ भाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा करने का प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान बहुत सारी समस्याओं को आमन्त्रित करने वाला हो सकता है – पहली तो भारत के किसी एक क्षेत्र में ही एक से अधिक भाषायें बोली जाती है जैसे बिहार में भोजपुरी, हिन्दी, उर्दू, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भाषायें प्रमुख रूप से बोली जाती है। ऐसी स्थिति में एक कक्षा में सभी बच्चों की एक मातृभाषा होना तथा उस कक्षा के शिक्षक का इन भाषाओं पर समान अधिकार होना काफी पेचिदा कार्य लग रहा है। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में भी अलग–अलग भाषाओं का वर्चस्व है अतः ऐसी स्थिति में यदि किसी विद्यार्थी को परिस्थितिवश अपने अध्ययन के स्थान को परिवर्तित करना हो तो भी उसे इस भाषा रूपी बाधा का सामना करना पड़ सकता है।इसके अतिरिक्त आज के इस डिजिटलीकरण व भूमण्डलीकरण के युग में अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को सही रूप से समझना व बोलना भी प्रमुख आवश्यकताओं में ही गिना जाने लगा है, यदि ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को अपने सहज वातावरण में ही रखकर उसकी सम्पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो

जायेगी तो सम्भवतः एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा को सीखने का श्रम हर बालक उस रूप मे ंना कर पाये जिसमें उसे करना चाहिये।हिन्दी भी 40 प्रतिशत भारतीयों द्वारा बोली–समझी जाती है परन्तु दक्षिण भारत तथा पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी भाषा का वर्चस्व उत्तर भारत के समकक्ष नहीं है। अतः वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा पर चलने वाले भारत में संवाद की कोई सार्वभौमिक शैली ना बचने का संकट भी खड़ा हो सकता है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि चीन, रूस, जापान जैसे देशों ने मातृभाषा में अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया है परन्तु ये वे देश है जहॉ भाषाओं की विविधता देखने को नहीं मिलती। गत वर्षो में एक अध्ययन से पता लगा है कि जब चीन ने अपनी मातृभाषा चीनी में ही अध्ययन–अध्यपान को सीमित किया तो चीन में रहने वाले विद्यार्थियों को अन्तराष्ट्रीय कम्पिनयों में रोजगार प्राप्त करने की सम्भावनायें कम हो गयी। भारत को ऐसे संकट का सामना ना करना पड़े, इसके लिये भाषायी स्तर पर आवश्यकतानुरूप व्यवस्था होनी चाहिये।

व्यावसायिक शिक्षा

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 6 और 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदाय द्वारातय किये और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार एक आनंददायी कोर्स करेगा, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों के निर्माण आदि का अपने हाथों से काम करने का अनुभव प्रदान करेगा। आगे चलकर विद्यार्थी रूचि अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के रूप में अपने अनुभव को आगे ले जा सकेगा। आत्मनिर्भर भारत व कौशलयुक्त भारत बनाने की दिशा में यह एक अच्छा प्रयास प्रतीत हो रहा है परन्तु इस स्तर पर यह समस्या भी दिखाई देती है कि व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मुख्यधारा के विषयों में प्राप्त स्नातक के समकक्ष होंगे या नहीं। इन विद्यार्थियों के आगे चलकर रोजगार के अवसर कहीं सीमित तो नहीं हो जायेंगे। इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

बहुविषयक विश्वविद्यालय

नई शिक्षा नीति में भारत की एक प्राचीन परम्परा समग्र व बहु विषयक तरीके से सीखने की प्रक्रिया को पुर्नस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्ज्ए प्ड आदि की तर्ज पर मेरू बहुविषयक शिक्षा व शोध विश्वविद्यालय नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। यहॉ यह जानना आवश्यक है कि प्रति वर्ष विश्व स्तर पर फण्ैण् न्दपअमतेपजल त्ंदापदह जारी की जाती है – जिसमें भारत की तकनीकी क्षेत्र की प्ैब ठंदहंसवतमए प्ज् ठवउइंलए प्ज् क्मसीप जैसी संस्थायें टॉप 300 में अपना स्थान बना पाती है।बहुविषयक विश्वविद्यालय बनाने के क्रम में यदि इन प्ज्ए प्ैबए ।प्ड्ै जैसी संस्थाओं को भी बहुविषयक बनाने का प्रयास किया जायेगा तो सम्भव है कि इन संस्थाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो जाये। अतः इस दिशा में भी कार्य समालोचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से ही करना चाहिए।

समीक्षा

आज हम जिस सदी में जी रहे है वह नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन की सदी है। जिसमें आज के युवा भारत को भारतीय मूल्यों से युक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का संकल्प इस शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सत्य है नीतियां जब कागज़ों में होती है तब बहुत सुहानी महसूस होती है। परन्तु धरातलीय सत्य काफी चुनौतियों से भरा होता है जैसे – भारत में जहॉ आज भी 22.8 करोड लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उस देश में अपनी ळक्च्का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करना एक बड़ी चुनौती है।नीति में आज भी वोकेशनल कोर्सेज को उच्च शिक्षा के समकक्ष लाने का संघर्ष है। आर्थिक विषमता वाली स्थिति में शिक्षा को स्वायत्त बनाना भी मुश्किल कार्य है। परन्तु भारतीय संस्कृति का इतिहास बताता है कि जब सब मिलकर एक ही दिशा में सद्नीयती से प्रयास करें तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैसे – महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा अपनी पत्नि सावित्री बाई फूले को पढ़ाना और फिर पूणे में लड़कियों के लिये भारत का पहला प्राथमिक विद्यालय

खोला जाना वहीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूणे में फग्यूर्सन कॉलेज की स्थापना की करना। आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानन्द वैदिक कॉलेज की स्थापना की गयी। छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा वंचितों और गरीब बच्चों के लिये स्कूलों व छात्रावासों की स्थापना की तथा उच्च शिक्षा के लिये उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी।आज केइस दौर में फिर से तिलक, फूले व साहू जी जैसे भामाशाह की आवश्यकता है जो अपने सार्वभौमिक प्रयास से भारतीय शिक्षा को अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ आधुनिक तकनीकी ऊंचाईयों तक ले जायें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लाल, रमन बिहारी, कांत, कृष्ण (2017) कन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजूकेशन, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ
2. मैनुअल, एस.के., राहिद, रज्ज़ाक (2023) ए काम्प्रेहेन्सिव एनेलिसिस ऑफ द न्यू एजूकेशन पॉलिसी 2020 इन इण्डियाः इम्पलीकेशन, चेलेन्जेस एंड ऑपोरच्युन्टीस फॉर ट्रांसफॉरमिंग द एजूकेशन सिस्टम, एजूकेशन एण्ड सोसयाटी, 47 (2),122–129
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति – (2020), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
4. शर्मा, आर.ए. (2008) तुलनात्मक शिक्षा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ
5. यू–डाईस प्लस (2022) रिपोर्ट
6. वर्मा, हेमलता, कुमार, आदर्श (2021) न्यू एजूकेशन पॉलिसी 2020 ऑफ इण्डियाः ए थ्योरिटिकल एनालिसिस, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एण्ड मैनेजमेंट रिसर्च 9(3), 302–306.

❖◆❖